राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुरेश बनाम मन्जू

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
992/2024		
10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/10/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/03/2024 पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि की वर्तमान रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने एवं बैचान नही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी तक के लिये पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की है एवं दोनों पक्षों को सुनकर युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है ऐसे में इस अपील के माध्यम से अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त नही समझा जाता है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को प्रथमदृष्टया अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	